राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.22(2)न्याय/2016 जयपुर, दिनांक 12-04-2016

:: परिपत्र ::

प्रायः यह देखा गया है कि विधि सेवा संवर्ग के अधिकारियों के सभी विभागों में पद सृजित है, परन्तु यह पद स्थायी/अस्थायी श्रेणी के है, जो विभाग अपने स्तर पर ही पदों के सृजन और समाप्त कर लेता है तथा विभाग को इसकी सूचना नहीं दी जाती है। प्रायः विभागों में इस संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों का पदस्थापन किया जाता है, तब विभाग द्वारा पद समाप्त होने की स्थिति बताकर वापस लौटा दिया जाता है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सभी विभागों से अपेक्षा की जाती है कि अपने विभाग में इस संवर्ग के स्थायी/अस्थायी पदों का विवरण निर्धारित संलग्न प्रपत्र में सूचना 15 दिवस में भिजवाए।

यह भी अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में पदों के सृजन एवं समाप्ति के लिए विभाग द्वारा इस विभाग (विधि विभाग) को प्रस्ताव भिजवाए ताकि सक्षम स्तर से अनुमोदन लेकर पद सृजन/समाप्ति की कार्यवाही कर संबंधित विभाग को सूचित किया जा सके।

संलग्नः– प्रपत्र।

12.4.16

(ब्रजेश कुमार डांगरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव।
2. समस्त जिला कलेक्टर/जिला परिषद/नगर परिषद।
3. समस्त निदेशक
4. समस्त विभाग
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

21.4.16

(प्रमोद कुमार मलिक)
संयुक्त शासन सचिव

D:\VINOD 2015\VINOD BAIRWA\ORDER.docx

प्रपत्र

विधि सेवा संगर्व से संबंधित पदों की सूचना

विभाग का नाम :–

क्र.सं.	पदनाम	स्थायी	अस्थायी (अन्तिम स्वीकृति की प्रति)	कार्यालय व स्थान	कार्यरत	रिक्त	कुल स्वीकृत पद	विशेष विवरण
1	कनिष्ठ विधि अधिकारी							
2	वरिष्ठ विधि अधिकारी							
3	सहायक विधि परामर्शी							
4	उप विधि परामर्शी							
5	संयुक्त विधि परामर्शी							
6	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी							

हस्ताक्षर मय पद